शमीम बनाम लीला

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	2020/00231
[illegible]-2022	वकील उभयपक्ष उप०। वकील प्रतिवादी ने विभाजन स्कीम पर आपत्ती प्रस्तुत की। वास्ते जबाब आपत्ती व बहस पत्रावली दि० 4-2-2022 को पेश हो।
4-2-2022	वकील उभयपक्ष उप०। वकील प्रतिवादी ने विभाजन स्कीम पर आपत्ती प्रस्तुत की। वास्ते जबाब आपत्ती व बहस पत्रावली दि० 18-2-2022 को पेश हो।
18-2-2022	वकील उभयपक्ष उप०। विभाजन स्कीम पर प्रस्तुत आपत्ती पर बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 21-2-2022 को पेश हो।
21-2-2022	वकील उभयपक्ष उप०। विभाजन स्कीम पर की गई आपत्ती सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य भूमि का विभाजन किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली मे शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (स०मा०)

निर्णय न्यायालय श्री अनिल कुमार चौधरी, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
114 / 2020	19.11.2020	21.2.2022

रामसिंह पुत्र रामजीलाल, माली निवासी खानपुर बडौदा तह. गंगापुर सिटी ——वादी

बनाम

1. लाला
2. मुकेश
3. रामसिंह

पुत्रान बाबू जातियान माली निवासीयान खानपुर बडौदा, तहसील गंगापुर सिटी

4. लैण्ड होल्डर तहसीलदार व उपपंजीयक गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा भूमि विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :—श्री तरूण कुमार शर्मा, एडवोकेट, वादी की ओर से
श्री विकास कुलश्रेष्ठ, एडवोकेट, प्रतिवादी नं0 1,2,3 की ओर से

निर्णय

वादी ने वादपत्र इस आशय का पेश किया है कि भूमि ख0न0 674 / 1101 रकबा 0.57 है0 ग्राम खानपुर बडौदा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1लगायत 3 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है। जिसमे वादी का 1 / 2 हिस्सा है। भूमि का मौके पर पक्षकारो द्वारा बाहमी बंटवारा किया हुआ है। एवं उसी अनुसार पक्षकारान भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। वादी व प्रतिवादीगण का परिवार बढ जाने के कारण भूमि के सीमाचिन्हों को लेकर आये दिन विवाद होते रहते है। इस बाबत वादी ने प्रतिवादीगण से कई बार भूमि का विभाजन करवाने हेतु कहा है परन्तु वे हर बार टालमटोल करते रहे है। दिनांक 6.9.2020 को प्रतिवादीगण ने विभाजन करवाने से मना कर दिया। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि भूमि ख0न0 674 / 1101 रकबा 0.57 है0 ग्राम खानपुर बडौदा तह0 गंगापुर सिटी का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के मध्य मीट्स एंड बाउन्डस से विभाजन किया जावे, इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती फरमायी जावे, भूमि का सीमाज्ञान करवाया जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादी के हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग मे कोई बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करे और ना ही किसी अन्य से करावे तथा भूमि के विभाजन के बिना प्रतिवादीगण कोई निर्माण नही करे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादीगण की ओर से कोई जबाब दावा प्रस्तुत नही किया गया।

दिनांक 10.2.2021 को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने न्यायालय मे उपस्थित होकर एक राजीनामा प्रस्तुत किया। जिसमे पक्षकारों ने अंकित किया है कि उनवानी प्रकरण मे पॉच लोगो के समझाने से हम उभयपक्षों मे राजीनामा हो गया है तथा दोनो पक्षों के मध्य विवादित भूमि ख0न0 674 / 1101 रकबा 0.57 है0 ग्राम खानपुर बडौदा का सीमाज्ञान

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

करवाकर मीट्स एंड बाउन्डरा रो व सरसा नरसा से विभाजन कर दिया जावे। भूमि का पूर्व का हिस्सा वादी का, पश्चिम का प्रतिवादीगण का रहेगा। विभाजन स्कीम मंगवायी जावे तब तक दोनो पक्ष मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखेगे। मुताबिक राजीनामा दावा प्राथमिक डिक्री किया जावे व विभाजन स्कीम मंगवायी जावे।

वादपत्र के समर्थन में वादी ने नकल जमाबंदी सं० 2073 से 2076 खात संख्या 321 ग्राम खानपुर बडौदा प्रस्तुत की है।

दिनांक 10.2.2021 को वादीगण का दावा प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार गंगापुर सिटी से विभाजन स्कीम मंगवायी गई।

तहसीलदार गंगापुर सिटी से दिनांक 22.11.2021 को विभाजन स्कीम इस न्यायालय में प्राप्त हुई।

विभाजन स्कीम पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण को सुना गया।

प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषक ने विभाजन स्कीम पर आपत्ति प्रस्तुत की। जिसमे उन्होने बताया कि पटवारी हल्का द्वारा मौका देखकर जो बंटवारा स्कीम मय नजरी नक्शा न्यायालय मे जो प्रस्तुत की गई है। वह मौके की स्थिति के अनुसार नही है। पटवारी हल्का द्वारा बंटवारा स्कीम के साथ प्रस्तुत नक्शे मेपूर्व का हिस्सा वादीगण का बताया गया है तथा पश्चिम की हिस्सा प्रतिवादीगण का बताया गया है। बीच मे जो विभाजन रेखा बतायी गई है वह गलत प्रकार से तिरछी करते हुए बतायी गई है जबकि मौके पर इस बंटवारा स्कीम के अनुसार तिरछेनुमा जैसी कोई स्थिति मौके पर नही है। दक्षिण से उत्तर की ओर जो विभाजन रेखा है वही बिल्कुल सीधी है तथा इसी अनुसार दुरूस्ती किये जाने योग्य है। दक्षिण से जो पूर्व पश्चिम हिस्से की रेखा बनाई गई है। वह दक्षिण से उत्तर बिल्कुल सीधी है तथा इसी अनुसार नक्शे मे दुरूस्ती किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की आपत्ति स्वीकार करते हुए पुनः विभाजन स्कीम मंगवायी जावें।

इस आपत्ति का वादीगण की ओर से कोई जबाब प्रस्तुत नही किया गया है एवं इस पर सीधे ही बहस का निवेदन किया गया ।

आपत्ति पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी आपत्ति के अनुसार बहस करते हुए विभाजन स्कीम मे दर्शाये गये नक्शे मे रेखा उत्तर से दक्षिण को सीधा करते हुए पुनः विभाजन स्कीम मंगवाने का निवेदन किया है।

वादीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस मे कहा कि दोनो पक्षों को रिकार्ड मे दर्ज अनुसार बराबर बराबर भूमि दी गई है। मौके की स्थिति

कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट ... पुर सिटी (रा.)

जिला कलेक्टर
...पुर सिटी (राज०)

के अनुसार ही विभाजन स्कीम तैयार की गई है। चूंकि मौके पर मकान भी बने हुए है। इसलिए लाईन एक स्थान पर तिरछी हुई है परन्तु भूमि दोनो पक्षों को समान दी गई है। इसलिए इसे स्वीकार किया जाकर पक्षकारों के मध्य भूमि का विभाजन किया जावें।

उभयपक्ष के विद्धान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्राप्त विभाजन स्कीम का अवलोकन किया। रिकार्ड मे वादग्रस्त भूमि 0.57 है० है जिसमें प्रतिवादीगण मुकेश का 1/6 हिस्सा, रामबाबू का 1/6 हिस्सा व लाला का 1/6 हिस्सा तीनों का 1/2 हिस्सा है तथा वादी रामसिंह का 1/2 हिस्सा है। विभाजन स्कीम मे वादी को 0.2850 है0 भूमि पूर्वी हिस्से वाली तथा प्रतिवादीगण को 0.2850 है0 भूमि पश्चिमी हिस्से वाली दी गई है। प्रतिवादीगण को इस हिस्से पर कोई आपत्ति नही है। मात्र विभाजन के लिए प्रदर्शित लाईन तिरछी होने पर आपत्ति है। वादी के वकील के अनुसार मौके पर मकान बने हुए है जिनका विवरण विभाजन स्कीम मे भी अंकित किया गया है। मकान बने होने के कारण एक स्थान पर लाईन तिरछी हुई है परन्तु हिस्सा किसी भी पक्ष का कम नही किया गया है। मौके पर मकान व प्लाट होने के कारण यह स्वाभाविक है कि एकदम सीधी स्थिति मे भूमि का विभाजन संभव नही है। हमारी राय मे प्रस्तुत विभाजन स्कीम मौके पर जाकर बनायी गई है और इस विभाजन स्कीम पर प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत आपत्ति सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है एवं पक्षकारों के मध्य तहसीलदार गगापुर सिटी से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार निम्न प्रकार भूमि का विभाजन किया जाता है।

आदेश

अतः तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य निम्न प्रकार भूमि का विभाजन किया जाता है:—

1. मुकेश पुत्र बाबू, रामसिंह पुत्र बाबू, लाल पुत्र बाबू जाति माली निवासी खानपुर बडौदा की खातेदारी मे भूमि ख0न0 674/1101/1 रकबा 0.2850 है0 (पश्चिमी हिस्सा) ग्राम खानपुर बडौदा रहेगी।
2. रामसिंह पुत्र रामजीलाल जाति माली निवासी खानपुर बडौदा की खातेदारी मे भूमि ख0न0 674/1101/2 रकबा 0.2850 है0 (पूर्वी हिस्सा) ग्राम खानपुर बडौदा रहेगी।

उपरोक्तानुसार पक्षकारो को भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। यह भूमि उपरोक्तानुसार पक्षकारो की खातेदारी मे पृथक पृथक दर्ज की जाकर पृथक पृथक लगान कायम किया जावे तथा राजस्व अभिलेख एवं

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

रामसिंह बनाम लाला वगैरा,दावा

नक्शा ट्रेस मे इसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.2.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स.मा.)

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

(7)

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–जाब्ता दीवानी) Judi/Civil
(Civil Proceede Code, Appendix D-1) Part IV-10

अज अदालत उप जिलाकलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास अनिल कुमार चौधरी, आर0ए0एस0

उनवान

रामसिंह पुत्र रामजीलाल, माली निवासी खानपुर बडौदा तह. गंगापुर सिटी
——वादी

बनाम

1. लाला
2. मुकेश
3. रामसिंह

पुत्रान बाबू जातियान माली निवासीयान खानपुर बडौदा, तहसील गंगापुर सिटी

4. लैण्ड होल्डर तहसीलदार व उपपंजीयक गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा भूमि विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. –114/2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी तरूण कुमार शर्मा, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री विकास कुलश्रेष्ठ, एडवोकेट मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य निम्न प्रकार भूमि का विभाजन किया जाता है:–

1. मुकेश पुत्र बाबू, रामसिंह पुत्र बाबू, लाल पुत्र बाबू जाति माली निवासी खानपुर बडौदा की खातेदारी मे भूमि ख0न0 674/1101/1 रकबा 0.2850 है0 (पश्चिमी हिस्सा) ग्राम खानपुर बडौदा रहेगी।
2. रामसिंह पुत्र रामजीलाल जाति माली निवासी खानपुर बडौदा की खातेदारी मे भूमि ख0न0 674/1101/2 रकबा 0.2850 है0 (पूर्वी हिस्सा) ग्राम खानपुर बडौदा रहेगी।

उपरोक्तानुसार पक्षकारो को भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। यह भूमि उपरोक्तानुसार पक्षकारो की खातेदारी मे पृथक पृथक दर्ज की जाकर पृथक पृथक लगान कायम किया जावे तथा राजस्व अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस मे इसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 21.2.2022 को जारी किया गया ।

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स.मा.) सत्यमेव जयते

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)